



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 201 राँची, सोमवार, 8 वैशाख, 1947 (श०)
28 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश
26 मार्च, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-27/2020 का०- 1870--श्री विजय हेमराज खलखो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-442/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, जयनगर, कोडरमा के विरुद्ध परिवादी श्री महादेव यादव, कोडरमा द्वारा परिवाद पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें रिश्वत लेकर काम को बाधित करने, अपने पद और गरिमा दोनों का दुरुपयोग करने संबंधी आरोप लगाया गया ।

उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-2606, दिनांक- 28.05.2020 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, कोडरमा से परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया ।

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-78/स्था०, दिनांक 10.02.2025 द्वारा अपर समाहर्ता कोडरमा के पत्रांक-656/रा०, दिनांक 06.05.2023 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि श्री खलखो के विरुद्ध लगाया गया आरोप पूर्णतः मिथ्या एवं निराधार है ।

श्री खलखो के विरुद्ध परिवाद पत्र में लगाये गये आरोप एवं उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री विजय हेमराज खलखो, तत्कालीन अंचल अधिकारी, जयनगर, कोडरमा से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
